10

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-31/2016-17

मु0 सहादत उर्फ मु0 सहादत हुसैन

बनाम्

मु0 अबेद उर्फ मु0 अब्दुल काबी

-: आदेश :-

दिनांक	
18.11.17	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया आवेदक मु0 सहादत उर्फ मु0 सहादत हुसैन, पे0-स्व0 जकीरूद्दिन वो मु0 जुम्मन, पे0-मु0 सहादत, सा0-कदमा, अंचल-बसंतराय, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-06/2010-11 आदेश दिनांक-27.08.2016 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0-06/2010-11 आदेश दिनांक-27.08.2016 के द्वारा मौजा-कदमा जमाबंदी सं0-75 दाग नं0-912 रकवा 00-16-13 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-कदमा जमाबंदी सं0-75 दाग नं0-912 रकवा 00-16-13 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय के द्वारा गलत एवं अवैध ढंग से उच्छेद किया गया है। मौजा-कदमा जमाबंदी सं0-75 दाग नं0-912 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के दखल कॉलम में शेख रहमान के नाम से दिखाया गया है। शेख रहमान पे0-शेख माते के द्वारा दिनांक-13.07.1932 ई0 को अपीलकर्त्ता सं0-1 के पिता शेख जकीरूद्दिन, पे0-स्व0 शेख कमरूद्दिन को उक्त दाग नं0-912 के अंदर रकवा 00-05-16 धुर जमीन कुर्फा के माध्यम से बंदोवस्त कर दिया था एवं अपीलकर्त्ता कुर्फा से प्राप्त जमीन पर मकान बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से निवास करते आ रहे हैं तथा अपीलकर्त्ता के शांतिपूर्ण दखल में उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपीलकर्त्ता का समर्थन किया गया है। उनका आगे कथन है कि गत जमाबंदी रैयत के अनेकों उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अन्य उत्तराधिकारी को किसी तरह का कोई

आपत्ति नहीं है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के क्रि0 मिस0 केश नं0–358/2010 (सहादत हुसैन बनाम् मु0 अबेद) के आदेश से भी स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का दखल कब्जा है। साथ ही अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत शेख माते के भाई के वंशज है। अपीलकर्त्ता की ओर से वंशावली तालिका, उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की ओर से दिया गया शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात निम्न न्यायालय में दाखिल किया था, लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल कागजातों पर विचार किये बिना ही नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है। उनका आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना एवं झारखण्ड, राँची का भी नियमन है कि आवास की जमीन से किसी को भी उच्छेद नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कदमा जमाबंदी सं0–75 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख माते के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–912 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के दखल क्यारी में शेख रहमान के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी से बाहरी व्यक्ति है और उनका दावा कुर्फानामा के आधार पर होने के कारण निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–912 की जमीन से नियमानुसार उच्छेद किया गया है। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कदमा जमाबंदी सं0–75 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख माते के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–912 के अन्तर्गत रकवा 00–16–13 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय के द्वारा उच्छेद किया गया है। अपीलकर्त्ता ने उक्त दाग नं0–912 के अन्तर्गत रकवा 00–05–16 धुर जमीन कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में कुर्फा के साक्ष्य के रूप में प्रतिकुल प्रभाव से दखल

होने का कोई कागजात दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय से भिन्न कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दखल संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर केश नं0–06/2010–11 आदेश दिनांक–27.08.2016 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

डी०क०–202
23/11/21

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

18/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:31:47 +05:30
Location: 192.168.29.8